

राज्य बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड

जनपद

जि०उ०अ० कार्यालय की पंजीकरण पंजिका के अनुसार क्रमांक एवं दिनांक
उद्यान कार्ड संख्या

बागवानी मिशन के अन्तर्गत रोपण सामग्री उत्पादन (Production of planting material) के लिये आवेदन हेतु प्रारूप- B1

1. लाभार्थी का नाम (Name of Beneficiary) :
2. पिता/पति का नाम (Father/Husband Name) :
3. लाभार्थी का पता गाँव का नाम :
Beneficiary address Village Name
- डाकखाना (Post Office) :
- विकासखण्ड (Block) :
- जनपद (District) :
- मोबाईल/टेलीफोन (Mobile / Telephone) :

आवेदक का
उ०स०द०के० प्रभारी
द्वारा प्रमाणित
नवीनतम फोटोग्राफ
(Attested by Mobile
team incharge
recent photograph
of farmer)

- | | | | | |
|---|---------------------------------|----------------------|--|--------------------------|
| 4. लाभार्थी की श्रेणी (Beneficiary Category) | सामान्य वर्ग (General) | <input type="text"/> | पिछड़ा वर्ग (Backward) | <input type="text"/> |
| | अनुसूचित जाति (SC) | <input type="text"/> | अनुसूचित जनजाति (ST) | <input type="text"/> |
| 5. कृषक श्रेणी (Farmer Category) | अ) लघु/सीमान्त (Small/Marginal) | <input type="text"/> | बड़े किसान (Big farmer) | <input type="text"/> |
| | ब) पुरुष (Male) | <input type="text"/> | महिला (Female) | <input type="text"/> |
| 6. क्षेत्र (Area) | पर्वतीय (Hill) | <input type="text"/> | मैदानी (Plain) | <input type="text"/> |
| 7. लाभार्थी की शैक्षिक योग्यता (Beneficiary education qualification) | नॉन मैट्रिक (Non Metric) | <input type="text"/> | 12वीं (Intermediate) | <input type="text"/> |
| | मैट्रिक (Metric) | <input type="text"/> | स्नातक (Graduate) | <input type="text"/> |
| 8. लाभार्थी के नाम कुल कृषि योग्य भूमि (जो राजस्व अभिलेखों में उसके स्वयं के नाम दर्ज हो) | <input type="text"/> है० | | बागवानी फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल | <input type="text"/> है० |
| 9. प्रस्तावित कार्य के लिये चयनित भूमि का खसरा संख्या क्षेत्रफल सहित (क्ष० है० में) | <input type="text"/> | | सिंचाई की उपलब्ध सुविधायें Irrigation facilities | <input type="text"/> |

10. प्रस्तावित कार्यक्रम (Proposed programme)

i) उच्च तकनीक वाली बड़ी पौधशाला (Hi-tech Nursery) - 100% assistance for public sector limited to Rs 100 lakh/unit and in case of private sector, credit linked back ended subsidy @ 40% of cost, subject to a maximum of Rs 40 lakh / unit, for a maximum of 4 ha. as project based activity on prorata basis. Each nursery will produce a minimum of 50,000 numbers per hectare of mandated perennial fruit crops / tree spices / aromatic trees / plantation crops per year, duly certified for its quality.

a) राजकीय (Public)

b) व्यक्तिगत (Private)

ii) छोटी पौधशाला (Small Nursery) - 100% assistance for public sector limited to Rs. 15.000 lakh/unit and in case of private sector, credit linked back ended subsidy @ 50% of cost, subject to a maximum of Rs 7.50 lakh / unit, as project based activity. Each nursery will produce a minimum of 25,000 numbers of mandated perennial vegetatively propagated fruit plants / tree spices / aromatic trees / plantation crops per year, duly certified for its quality.

a) राजकीय (Public)

b) व्यक्तिगत (Private)

iii) प्रमाणिक प्रतिमानों के अनुरूप पौधशाला की आधारभूत संरचना को उन्नत बनाना (Upgrading nursery infrastructure to meet accreditation norms) 100% assistance for public sector limited to Rs. 10.00 lakh/nursery of 4 ha and 50% of cost to private sector subject to a maximum of Rs. 5.00 lakh/nursery of 4 ha. The infrastructure facilities will include establishment of hot bed sterilization of media, working shed, virus indexing facility (for citrus & apple), Hardening chamber / net house, Mist chamber, Establishment of Mother Block, Irrigation and fertigation

a) राजकीय (Public)

b) व्यक्तिगत (Private)

iv) विद्यमान ऊतक संवर्धन इकाईयों का सुदृढिकरण (Strengthening of existing Tissue Culture (TC) unit) - 100% assistance for public sector limited to Rs. 20.00 lakh / unit and in case of private sector, credit linked back ended subsidy @ 50% of cost, subject to a maximum of Rs 10.00 lakh / unit.

a) राजकीय (Public)

b) व्यक्तिगत (Private)

v) मसाले व सब्जियों के लिये बीज उत्पादन – अनावृत पराग सिंचित फसल (Seed production for vegetable and spices - Open pollinated crops) - 100% assistance for public sector limited to Rs. 35,000/ha and in case of private sector @ 50% of cost i.e. Rs. 17,500/ha, limited to 5 ha per beneficiary. Output target of seed for each crop will be fixed by the individual state.

a) राजकीय (Public)

b) व्यक्तिगत (Private)

vi) मसाले व सब्जियों के लिये बीज उत्पादन – संकर बीज (Seed production for vegetable and spices - Hybrid seeds) - 100% assistance for public sector limited to Rs 1.50 lakh/ha and in case of private sector 50% of cost i.e. Rs. 0.75 lakh/ha, limited to 5 ha. Output target of seed for each crop will be fixed by the individual state for each beneficiary, before releasing funds.

a) राजकीय (Public)

b) व्यक्तिगत (Private)

11. प्रस्तावित कार्य का क्षेत्रफल

12. धनराशि की व्यवस्था (Fund arrangement)

किसान क्रेडिट कार्ड से (Through farmer credit card)

कार्ड नम्बर (Card No.)

क्रेडिट लिमिट (Credit limit)

जारीकर्ता बैंक (Bank Name)

बैंक ऋण से (Through Bank Loan)

ऋणदाता बैंक (Loan provider bank)

ऋण धनराशि (Loan amount)

निजी स्रोत से (By Self)

खाता संख्या (Account No)

बैंक का नाम (Bank Name)

अन्य स्रोत से (By other Source)

स्रोत इंगित करें (Source detail)

किसान क्रेडिट कार्ड की प्रति/बैंक ऋण स्वीकृति पत्र/निजी स्रोत के सापेक्ष बैंक द्वारा प्रमाणित एकाउण्ट स्टेटमेंट व अन्य स्रोत के सापेक्ष साक्ष्य संलग्न करें। (Enclosed Farmer Credit Card copy/ Bank loan approval letter / Bank statement certified by bank for self source and other source arrangement)

13. कार्यक्रम कार्यान्वयन की समय सारिणी
(Time table of implementation)

14. आगामी 05 वर्षों का प्रस्तावित उत्पादन कार्यक्रम
Next five year Proposed production programme

फसल का नाम (Crop)	क्षेत्रफल है0 में (Area in ha)	उत्पादन (Production)

15. प्रस्तावित आय-व्यय का वित्तीय विश्लेषण

16. सामाजिक लाभ

प्रत्यक्ष रोजगार
महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु रोजगार सृजन

17. विपणन व्यवस्था/रणनीति

18. संलग्न करें:-

- उद्वरण खतौनी की प्रमाणित प्रति।
- ऋण आधारित बैंक एन्डिड सब्सिडी सम्बन्धी प्रस्तावों हेतु बैंक का सहमति पत्र।
- इस्टीमेट।
- पूंजी प्रबन्धन के सापेक्ष साक्ष्य की प्रति।
- पौधशाला स्थापना हेतु आवेदन करने पर संलग्न करें:-
1. पौधशाला स्थापना की विस्तृत योजना
 2. आगामी 05 वर्षों का उत्पादन कार्यक्रम
 3. मातृवृक्ष खण्ड स्थापना का विवरण प्राप्ति के श्रोत सहित
 4. कुल लागत का मदवार विवरण
 5. प्रस्तावित स्थल का नक्शा
- उद्यान कार्ड की छायाप्रति।
- रू0 10 के स्टॉम्प पेपर पर नोटराइज्ड शपथ पत्र।

आवेदक के हस्ताक्षर

जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय के प्रयोगार्थ

संस्तुतिकर्ता

मैंने आवेदक की भूमि तथा प्रस्ताव का निरीक्षण/परीक्षण किया है। आवेदक का परियोजना प्रस्ताव उपयुक्त है और सभी वांछित औपचारिकतायें पूर्ण हैं। इस परियोजना प्रस्ताव की निम्नानुसार स्वीकृति की संस्तुति की जाती है:-

प्रस्तावित कार्य की कुल लागत

₹.....

अनुमन्य अनुदान

₹.....

प्रभारी, उद्यान सचल दल केन्द्र
हस्ताक्षर एवं मोहर

जिला उद्यान अधिकारी
हस्ताक्षर एवं मोहर

राज्य बागवानी मिशन कार्यालय के प्रयोगार्थ

उक्त प्रस्ताव का परीक्षण राज्य स्तरीय परीक्षण समिति द्वारा कर लिया गया है।

अ) प्रस्ताव में पायी गयी कमियाँ:-

1.
2.
3.
4.

प्रस्ताव में उपरोक्त कमियाँ पायी गयी हैं, जिनके निराकरण हेतु प्रस्ताव सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारी के माध्यम से कास्तकार को प्रेषित किया जाना उचित होगा।

ब) प्रस्ताव का परीक्षण कर लिया गया है, प्रस्ताव स्वीकृति योग्य है। अतः स्वीकृति की संस्तुति की जाती है।

समिति के सदस्यों का नाम, पदनाम व हस्ताक्षर

	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1.			
2.			
3.			